कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com

Phone No:- 07762-222911

क्र..121.../निगम सचिव/न.पा.नि./2026 रायगढ़, दिनांक14/5/2026

प्रति,

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषयः– नगर पालिक निगम रायगढ़ के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 06.05.2026 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 06.05.2026 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र..121.../निगम सचिव/न.पा.नि./2026 रायगढ़, दिनांक14/5/2026

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
6. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।
7. संबंधित प्रभारी अधिकारी .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

D:\Document\MIC parisd baithak\nigam sachiv letter1.docx

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट

(प्रारुप क देखिये)

नगर पालिक निगम रायगढ़ परिषद् के विशेष सम्मिलन दिनांक 06.05.2026 समय पूर्वान्ह/अपरान्ह 11:00 बजे विचारण के लिये सम्मिलित विषयों की सूची :—

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
1.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 22.04.2026 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 03:— श्वेता सिंह क्षत्रिय पार्षद महोदया वार्ड क्र.25 के द्वारा महाराणा प्रताप चौक का स्थल परिर्वतन हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें लेख है कि कोतरा रोड पुलिस थाना के पास महाराणा प्रताप चौक का नामकरण परिषद के प्रस्ताव क्र. 10 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें लेख है कि तकनीकी कारणवश उपरोक्त स्थल में कार्य किया जाना संभव नहीं है क्योंकि उक्त मार्ग NH में होने एवं रोड़ में फोर लेन सड़क बनने के कारण उपयुक्त जगह नहीं है। अतः कोतरा रोड पुलिस थाना के पास महाराणा प्रताप चौक का स्थान परिवर्तन कर रामपुर रोड वाटर वर्ल्ड तिराहा को महाराणा प्रताप का नामकरण एवं मूर्ति स्थापना कर चौक बनाने हेतु आवेदन किया गया है। उपरोक्त प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
2.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 10.04.2026 समय 11:30 बजे के प्रस्ताव क्र. 11:— नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राईव तक (केनाल लिंक) रोड़ निर्माण कार्य (सि.नि.क्र. 187547) (अनु. लागत राशि रु. 2255.81 लाख) हेतु दिनांक 02.04.2026 तक तृतीय ऑन—लाईन निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसका प्रकाशन दैनिक हरिभूमि एवं द हिन्दु समाचार पेपर में किया गया था। उक्त कार्य हेतु कुल 01 निविदा मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार, जिला—सक्ती की प्राप्त हुई। जिसमें मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार, जिला—सक्ती द्वारा न्यूनतम दर 2.11% (दो दशमलव एक एक प्रतिशत) कम एस. ओ.आर. प्रस्तुत किया गया है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की गयी है। अतः मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार, जिला—सक्ती से प्राप्त दर 2.11% (दो दशमलव एक एक प्रतिशत) कम एस.ओ.आर. दर को स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति परिषद बैठक में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। तद्नुसार कार्य की आवश्यकता को देखते हुए परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत विपक्षी दल द्वारा प्रभावितो के पुर्नवास हेतु लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया गया। प्रकरण बहुमत से पारित किया गया।
3.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 10.04.2026 समय 11:30 बजे के प्रस्ताव क्र. 13:— महाप्रबंधक जिंदल स्टील लिमिटेड (जनसंपर्क) का पत्र क्रमांक जेएस/न.पा.नि. /2026—27 7397 रायगढ़ दिनांक 30.03.2026 प्राप्त जिसमें केवड़ाबाडी चौक से किरोड़ीमल चौक तक मार्ग के डामरीकरण एवं बी.टी. रोड़ निर्माण के संबंध में नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन एवं मापदंडों के अनुरूप कंपनी द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराया जावेगा। अतः उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त मार्ग पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे, ताकि नियमानुसार एवं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से कार्य संपादित किया जायेगा, जिसके तारतम्य में महापौर जी द्वारा एम.आई.सी. के समक्ष उपस्थित होकर अपना तथ्य रखने का निर्देश दिया गया है। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में जिंदल स्टील के महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत विपक्ष के सदस्यों द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर प्रस्ताव में अपना विरोध दर्ज कराया गया। चर्चा उपरांत बहुमत के आधार पर प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

	हेमंत वर्मा एम.आई.सी. के समक्ष उपस्थित हुए एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित स्पेशिफिकेशन एवं मापदंडो के अनुसार उक्त मार्ग का निर्माण उनके द्वारा सहमति एवं वचनबद्धता के साथ मौके पर शीघ्र कार्य स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निवेदन किया गया एवं सहमति दी गई एवं लिखित में निम्नानुसार पत्र क्र. जे/एस/न.पा.नि./2026–27/7417 रायगढ़ दिनांक 10.04.2026 पत्र के माध्यम से मार्ग के नवीनीकरण एव बी.टी.रोड निर्माण बाबत् वचनबद्व के साथ कार्य करने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. संपूर्ण मार्ग के दोनों तरफ डिवाईडर से ड्रेन तक मार्ग का निर्माण, डामरीकरण एवं बी.टी. रोड निर्माण कंपनी के द्वारा किया जावेगा। उक्त कार्य नगर निगम द्वारा निर्धारित मापदंड एवं स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एवं निगम के सक्षम अधिकारी की देखरेख में संपन्न होगा। 2. मार्ग के निर्माण पश्चात् उसका संधारण (मेंटनेंस) कंपनी के द्वारा किया जावेगा। 3. मार्ग निर्माण पश्चात् रोड (फर्निचर, मार्किंग ब्लिंकर एवं संकेतक) आदि भी कंपनी द्वारा लगाया जावेगा। 4. मार्ग में निर्मित डिवाईडर का सौंदर्यीकरण कंपनी द्वारा किया जावेगा। चर्चा उपरांत उपरोक्त पत्र एवं सहमति के संदर्भ में कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु स्वीकृति दी गई एवं निर्णय से परिषद् बैठक में अनुशंसा सहित रखने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	
4.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 22.04.2026 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 05:– नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत केवड़बाडी चौक पर मटन मार्केट संचालित किया जा रहा है। उक्त स्थल पर लगभग 40 वर्षों पूर्व से संचालित है। वर्तमान में उक्त स्थल आबादी के मध्य में आ गया है। जिसके कारण जानवरों के अपशिष्ट से प्रदूषण फैल रहा है जिससे लोक न्यूशेंस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस कारण किसी दुसरे स्थान पर विस्थापित करने हेतु लगातार नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा विस्थापन की मांग की जा रही है। इस संबंध में एम.आई.सी. के पूर्व बैठकों में विभिन्न स्थलों पर चर्चा की गई है, विगत एम.आई.सी. के उपरान्त माननीय सदस्यगणों के साथ विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। 1. कोतरा रोड आर.ओ.बी. के नीचे। 2. भगवानपुर एस.एल.आर.एम. के पास। 3. बडे रामपुर में लीगेसी वेस्ट साईट पर। 4. बडे रामपुर आर्शीवादपुरम एस.एल.आर.एम. के बाजू में। उक्त स्थलों में कोतरा रोड आर.ओ.बी. बस्ती के बीच में है, भगवानपुर एस.एल.आर.एम. मंदिर के पास है, लीगेसी वेस्ट साईट पर पहुंच मार्ग निजी भूमि है एवं बडे रामपुर आर्शीवादपुरम एस.एल.आर.एम. के बाजू में लगभग 5000 फीट भूमि है, मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। राजस्व विभाग, नगर पालिक निगम, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवड़ाबाड़ी में 24 व्यापारी विक्रय करते है। ऐसी स्थिति में मटन, चिकन विक्रय हेतु बडे रामपुर आर्शीवादपुरम एस.एल.आर.एम. के बाजू में चयन हेतु प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए परिषद में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सदस्यों के द्वारा नगर में संचालित समस्त अवैध मुर्गा मटन के दुकानों पर नियमानुसार कार्यवाही कर बंद करवाये जाने का प्रस्ताव लिया गया एवं मुर्गा मटन मार्केट के व्यवस्थापन हेतु स्थल चिन्हाकिंत करने हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया– 1. श्री जीवर्धन चौहान, महापौर 2. श्री डिग्रीलाल साहू, सभापति (अध्यक्ष वार्ड समिति क्र. 01) 3. श्री सलीम नियारिया, नेता प्रतिपक्ष 4. श्री अमित शर्मा, MIC सदस्य बाजार विभाग 5. श्री आशीष ताम्रकार, पार्षद (अध्यक्ष वार्ड समिति क्र. 02) 6. श्री सुरेश गोयल, MIC सदस्य 7. श्रीमती पूनम सोलंकी, MIC सदस्य 8. श्रीमती रेखा देवी, पार्षद वार्ड क्र. 06 उपरोक्तानुसार समिति के सदस्यगण नगर के मुर्गा मटन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उचित स्थल का चयन कर प्रस्ताव देंगे। तदनुसार प्रकरण परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।
5.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 29.04.2026 समय सायं 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 03:– विषय– महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जनजागरूकता अभियान के आयोजन एवं समन्वय के संबंध में विचारार्थ। प्रस्ताव– विभागीय नस्ती का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिवेदन एवं संक्षेपिका अनुसार छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. GENCOR-35/3237/2026-UAD नवा रायपुर नगर अटल दिनांक 17.04.2026 प्राप्त हुआ है। पत्र में महिला	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत उपस्थित विपक्षी दल सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई गयी। प्रस्ताव बहुमत के आधार पर महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जनजागरूकता

Scanned with OKEN Scanner

	सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जनजागरूकता अभियान के प्रथम चरण में संबंधित निकायो की विशेष सामान्य सभा आहूत कर कार्यक्रम की महत्ता पर विशेष चर्चा एवं संकल्प पारित किये जाने के निर्देश है। अतएव महिला सशक्तिकरण के जनजागरूकता अभियान के प्रथम चरण में सामान्य सभा की ओर संकल्प पारित कर राज्य शासन को पत्र प्रेषित किये जाने की स्वीकृति चाही गयी है। चर्चा हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जनजागरूकता अभियान के आयोजन एवं समन्वय के लिये अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु परिषद बैठक में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	अभियान के आयोजन एवं समन्वय के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है।
6.	नगर पालिक निगम, रायगढ़ परिषद् के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 06.05.2026 को बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 29(4) के प्रावधानों के अंतर्गत महापौर सहित 35 पार्षदो के हस्ताक्षर से 131 वां संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023, संशोधन विधेयक) संसद में पारित नहीं होने के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अनुरोध पत्र सौंपा गया। जिसे प्रावधानों के अनुसार विचार हेतु प्रस्ताव क्रमांक 06 के रूप में सम्मिलित किया गया। जो निम्नानुसार है– ––––––0000–––––– प्रस्ताव क्र. 06 :– 131 वां संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम–2023, संशोधन विधेयक) संसद में पारित नहीं होने के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।	नगर पालिक निगम रायगढ़ यह व्यक्त करती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधाओं ने हमारे हृदय को गहरे क्षोभ और आक्रोश से भर दिया है। यह देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि जिस आधी आबादी ने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्हे उनके संवैधानिक अधिकार से दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन ने संसद में एकजुट होकर एक नकारात्मक और संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। यह अधिनियम केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की करोड़ो माताओं, बहनों और बेटियों के उन सपनों को पंख देने की कोशिश थी, जो दशकों से राजनीति की मुख्यधारा में अपनी जगह तलाश रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को नीति–निर्माण की मेज पर ससम्मान बैठाने की दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई, वहीं विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस पावन प्रयास पर प्रहार कर देश के समावेशी लोकतंत्र की आत्मा को आहत किया है। हम शपथ लेते है कि विपक्ष के इस छलावे और उनकी महिला–विरोधी सोच को हम घर–घर तक, हर चौखट तक पहुँचाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता केवल शब्दों तक सीमित नहीं है; यह एक पवित्र संघर्ष है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक भारत की 'नारी शक्ति' को राष्ट्र के गौरवशाली भविष्य को गढ़ने में उनका उचित, न्यायसंगत और सम्मानजनक अधिकार नहीं मिल जाता। उपरोक्तानुसार संकल्प विपक्षी दल के सदस्यों के विरोध करने पर बहुमत से पारित किया जाता है।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner